# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
### संकल्प

सं0–15/आरोप (भागलपुर) 02–95/2024–...................... (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................

समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–129(प्र0)/रा0, दिनांक–30.09.2024 के द्वारा श्रीमती तान्या कुमारी, अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें श्री कुमारी के विरूद्ध स्वत्व वाद सं0–62/2020 के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–45/2023–24 में दिनांक–21.12.2023 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने, इसके विपरीत पूर्व से कायम जमाबंदी का रकवा शून्य करने, भूमिहीन परिवारो को वासभूमि एवं सैरात बंदोबस्ती से संबंधित अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर को उपलब्ध नहीं कराने, गोराडीह अंचल में जमाबंदी सं0–2126 में नई जोड़ी गई जमाबंदी का सत्यापन नहीं कराने एवं स्टेडियम निर्माण संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराने, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने एवं दाखिल–खारिज वादों को लंबित रखने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. समाहर्त्ता, भागलपुर से प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–240(15), दिनांक–25.02.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1661 दिनांक–16.10.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी श्रीमती तान्या कुमारी को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "निन्दन" एवं "असंचयात्मक प्रभाव से 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती तान्या कुमारी, अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(I) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2024)** एवं नियम–14(v) के तहत **"असंचयात्मक प्रभाव से 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक"** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–95/2024–...................... (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, भागलपुर को उनके पत्रांक–129 दिनांक–30.09.2024 के प्रसंग में/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/श्रीमती तान्या कुमारी, अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Tanya kumari (CO_Goradih_Bhagalpur)_Nindan_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–95/2024–368(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–17/03/2026

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल में**)/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3//आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्रीमती तान्या कुमारी** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

17/03/26

**(संजय कुमार सिंह),**
**सरकार के उप सचिव।**

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Tanya kumari (CO_Goradih_Bhagalpur)_Nindan_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc